

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

बेशी बनाम जगू (कौर)

किरम मुकदमा प्री-पग 111-120 नं० 80 सन 2020

दिनांक	हुदम या कर्तव्याही मय इनिशयल्स जेज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुदम की लागत में जारी हुए
15.6.20	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जांच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिपक्षीगण को सम्मान नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 21-7-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
21/7/20	<p>उभय पक्ष उपस्थित भी नहीं उपस्थित राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
11-8-20	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।</p> <p>25.8.20</p>	
25-8-20	<p>उभय पक्ष उपस्थित भी नहीं उपस्थित राजकीय कार्य से बाहर हैं। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
15.9.20	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से भौकू रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तवा आवाजे फ़िलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इनके बिकरह एकतरफा कार्यवाही किये जाने के सादेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थी ने बहस करना चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का प्रार्थना</p>	



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही भय इनिशियट्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फंसेल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा</p>	

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 80/20 प्रा० प्र

1- श्री वंशी सो श्री मांगु भील निवासी - नैकरोडा तहसील - माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री मांगु सो श्री गोफ्त भील निवासी - नैकरोडा तहसील - माण्डल (बगैना)
(सुहृदोक्ति प्रा पञ्चरात्र)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15-09-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नैकरोडा पटवार हल्का जोरारपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 20 कुल किता 01 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15-06-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम नैकरोडा पटवार हल्का जोरारपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 20 कुल किता 01 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक राजेश 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा